कृषि महाविद्यालय, बीकानेर
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय

☎ 0151-2970282 & 2970283 E-mail :- coaraubikaner@gmail.com

क्रमांकः—कृम/लेखा शाखा/निविदा/2026/328 दिनांक :— 16.06.2026

ई—बोली सूचना संख्या 04/2026—27

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा Rajasthan Transparancy in Public Procurement Act, 2012 तथा Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के तहत् एसकेआरयू परिसर एवं महाविद्यालय के 02 कार्य बिन्दुओं पर सफाई कार्य जॉब बेसिस आधार पर पूर्ण माह हेतु करवाये जाने हेतु **श्रम विभाग से पंजीकृत** सेवा प्रदाय एजेन्सी से पूर्ण विवरण सहित दोहरी बिड पद्धति (तकनीकी व वित्तीय बिड) से एक वर्ष हेतु आमंत्रित की जाती है :—

क्र.सं.	जॉब कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित लागत	बोली प्रतिभूति राशि
1.	कृषि महाविद्यालय भवन एवं परिसर, एसकेआरयू परिसर में भवन एवं छात्रावासों में सफाई कार्य (झाडू, पोछा इत्यादि) जॉब बेसिस आधार पर करवाने हेतु **(श्रम विभाग से पंजीकृत)। उक्त जॉब बेसिस कार्य में मानव संसाधन एवं सामग्री सहित कार्य सम्मिलित है।**	12 लाख प्रति वर्ष	24000/-
	बोली शुल्क	रू. 500/—	
	आर. आई. एस. एल. प्रक्रिया शुल्क	रू. 500/—	
	बोली कार्यक्रम		
1.	ई—प्रोक्योरमेन्ट में डाटाशीट इत्यादि डाउनलोड प्रकाशन की तिथि व समय	19.06.2026 प्रातः 11:30 बजे	
2.	ई—प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से बोली प्रस्तुत करने की प्रारम्भ तिथि व समय	19.06.2026 प्रातः 11:30 बजे	
3.	बोली प्रतिभूति राशि, बोली शुल्क, आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क एवं बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक व समय	29.06.2026 को सायः 5:00 बजे	
4.	डीडी/ऑनलाईन जमा के साक्ष्य को भौतिक रूप /ई—मेल (coaraubikaner@gmail.com) पर प्रस्तुत करने की दिनांक व समय	30.06.2026 को दोपहर 5:00 बजे तक	
5.	तकनीकी बोली खुलने की दिनांक व समय	01.07.2026 को प्रातः 11:30 बजे पश्चात	

ऑन लाईन बीडिंग के लिये बोलीदाता के पास सूचना प्रौद्योगिक एक्ट 2000 (Information Technology Act, 2000) के अनुसार डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (Digital Signature Certificate) होना आवश्यक है। बोली डॉक्यूमेन्ट मय शर्तो के वेब साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, जिसे इच्छुक बोलीदाता द्वारा उक्त विवरणानुसार डाउनलोड/अपलोड करवाया जा सकता है । तकनीकी बोली उन्ही बोलीदाताओं की खोली जावेगी जिनके द्वारा **डीडी/बैंक खाते में ऑन लाईन जमा करवाई गई राशि के साक्ष्य की एक प्रति विभागीय ई—मेल coaraubikaner@gmail.com पर दिनांक 30.06.2026 को सायः 5:00 बजे तक प्रेषित कर दी गई होगी। बोली शूल्क, ई—बोली प्रक्रिया शूल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि निम्नांकित तालिका में अंकित कृषि महाविद्यालय के बैंक खाते में भी जमा करवाई जाकर इस आशय की सूचना ई—मेल के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है।** मूल डीडी मय सबमिशन लेटर भौतिक रूप से कार्यालय में दिनांक जमा कराने के पश्चात ही बोली प्रतिभूति राशि लौटाई जाएगी :—

Detail of Bank Account: -

Name of Account Holder	Account No.	IFSC Code	Name of Bank & Branch	E-Mail
Dean College of Agriculture Bikaner	670105000020	ICIC0006701	ICICI, RAU	coaraubikaner@gmail.com

ई—बोली आमंत्रण सूचना विवरण DIPR की वेब साईट "www.dipronline.org", http://sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट http://raubikaner.org पर भी उपलब्ध है। अधो—हस्ताक्षरकर्ता को बोली प्रकिया को या उसके किसी भाग को रदद करने का अधिकार होगा। तकनीकी बोली खोलने की तिथि को अवकाश घोषित हो जाने की स्थिती में अगले कार्य दिवस को बोली खोली जावेगी ।

COLLEGE OF AGRICULTURE SKRAU, BIKANER

(विजय प्रकाश)
अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय, बीकानेर

कृषि महाविद्यालय, बीकानेर
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
प्रपत्र – तकनीकी बिड

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर परिसर एवं कृषि महाविद्यालय के 02 कार्य बिन्दुओं पर सफाई कार्य जॉब बेसिस आधार पर पूर्ण माह हेतु करवाये जाने का कार्य (मैनपावर, मशीन, व सामग्री सहित) वर्तमान आवश्यकतानुसार निर्धारित कुल 02 कार्य बिन्दुओं (विस्तृत विवरण Annexure-A2 में वर्णित) के लिये तकनीकी बोली :–

1-	कार्य की अनुमानित लागत	**12,00,000/– (बारह लाख रूपये) प्रति वर्ष**
2-	**कार्य अवधि**	**1 वर्ष**
3-	बोलीदाता/फर्म का नाम व स्थाई पता मय ई–मेल पता	
4-	**बोली शुल्क रूपयें 500/– जो डीडी/ऑनलाईन खाते के माध्यम से निर्धारित खाते में जमा करवानी होगी।**	--
5-	**बोली प्रक्रिया शुल्क (RISL) रूपयें 500/– जो डीडी/ऑनलाईन खाते के माध्यम से निर्धारित खाते में जमा करवानी होगी।**	--
6-	**2 % बोली प्रतिभूति राशि 24000/- – जो डीडी/ऑनलाईन खाते के माध्यम से निर्धारित खाते में जमा करवानी होगी।**	--
7-	ई–प्रोक्योरमेन्ट में डाटाशीट इत्यादि डाउनलोड प्रकाशन की तिथि व समय	19.06.2026 प्रातः 11:30 बजे
8-	बोली प्रतिभूति राशि, बोली शुल्क, आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क एवं बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक व समय	29.06.2026 को सायः 5:00 बजे
9-	डीडी/ऑनलाईन जमा के साक्ष्य को भौतिक रूप / ई–मेल (coaraubikaner@gmail.com) पर प्रस्तुत करने की दिनांक व समय	30.06.2026 को दोपहर 5:00 बजे तक
10-	तकनीकी बोली खुलने की दिनांक व समय	01.07.2026 को प्रातः 11:30 बजे पश्चात
11-	मैंने/हमने अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, बीकानेर द्वारा जारी की गई बोली सूचना ई–बोली सूचना संख्या 04/2026–27 में वर्णित शर्तो/संलग्न शर्तों के विवरण से पूर्ण रूप से अवगत हो गये हैं जिसकी पालना हेतु वचनबद्व है तथा उन्हें स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं। हस्ताक्षरित बोली एवं संविदा की शर्ते संलग्न है। **बोलीदाता के हस्ताक्षर**	

COLLEGE OF AGRICULTURE SKRAU, BIKANER

फर्म के विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण :–

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक (पेज नम्बर)
01.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
02.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
03.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
04.	आयकर (PAN No.)				
05.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

तकनीकी सक्षमता :– वित्तीय टर्न ऑवर :– राशि रूपये 7.00 लाख या अधिक प्रति वर्ष के वित्तीय टर्नओवर (Turn Over) का विवरण (गत तीन वर्षो में से किन्ही दो वर्षो में)

	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रू0 लाखों में)	पेज नम्बर
01.	2022–23		
02.	2023–24		
03.	2024–25		

कार्य अनुभव का विवरण :– बोलीदाता फर्म/बिडर को भारत सरकार/राज्य सरकार के कार्यालयों में कम से कम एक वर्ष (12 माह) का 2 कार्य बिन्दुओं पर मैन पॉवर (एकल सफाई कार्य Particuler NIT No.) जॉब कार्य करवाने का अनुभव गत 3 वर्षो (01.04.2022 से बोली जारी होने की दिनांक तक अनुभव) के किसी एक वर्ष में होना आवश्यक है। साक्ष्य स्वरूप अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न करनी अनिवार्य है जिसमें अवधि, मैन पॉवर/कार्य बिन्दुओं एवं संतोषपद्र कार्य सम्पन्न करने का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। अनुभव सम्बंधित कार्य के कार्यादेश की प्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी अनिवार्य होगी। जिस संस्था का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है उसका पत्र व्यवहार का पता, दूरभाष नम्बर व ई–मेल आई.डी. का उल्लेख निविदादाता को करना आवश्यक होगा।

	संस्थान का नाम	कार्य अवधि व कार्य की लागत	पेज नम्बर
04.			
05.			

नोट :–

1. उक्त समस्त दस्तावेज व बोली दस्तावेज स्वयं द्वारा सत्यापित व भरकर बोली प्रपत्र के साथ ऑनलाईन अपलोड करवाने होगें।
2. अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज पठनीय होने चाहिए। अस्पष्ट व अपूर्ण दस्तावेज होने पर निविदा स्वीकृत नही की जाएगी जिसके लिए समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
3. उपरोक्त वांछित दस्तावेज के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज निविदादाता अगर अपलोड करता है तो उस पर विचार करना या न करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
4. बोलीदाताको वित्तीय बिड होगी जिसमें बोलीदाता को अपने सम्पूर्ण जॉब कार्य हेतु प्रस्तुत की जाने वाली दर पूर्ण माह के लिए अंकों में एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। यह दर श्रमिक मजदूरी, ई.पी.एफ. ई.एस.आई., मशीनरी, सामग्री एवं सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज के रूप मे वर्गीकृत होगी। शब्दों एवं अंकों में उल्लेखित राशि में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित राशि ही अंतिम मानी जायेगी। न्यूनतम मजदूरी, रिलिवर लेबर व ई.पी.एफ., ई.एस.आई. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधन लागू होगी। वित्तीय बोली में प्रस्तुत की जाने वाली दर में मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार समय एवं श्रम विभाग द्वारा उक्त श्रेणी हेतु निर्धारित न्यूनतम मानदेय, साप्ताहिक अवकाश मानदेय (4 Off Days)

COLLEGE OF AGRICULTURE SKRAU, BIKANER

नियोक्ता द्वारा दिये जाने वाला पी.एफ. व ई.एस.आई. अंशदान को आवश्यक रूप से सम्मिलित करना होगा उक्त को सम्मिलित किये बगैर प्रस्तुत दर को प्रथम दृष्टया अव्यवहारिक मानते हुए वित्तीय बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित सेवा प्रदाता ऐजेन्सी की होगी। नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला पी.एफ. व ई.एस.आई. नियोक्ता अंशदान भुगतान योग्य होगा। मशीनरी, सफाई सामग्री एवं सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज पूर्ण माह के लिये बी.ओ.क्यू. के अनुसार होगा। जी.एस.टी. का नियमानुसार गणना के आधार पर बिल के साथ भुगतान देय होगा। अपूर्ण/अस्पष्ट रूप से भरी हुई बोली एवं सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी ।

कृषि महाविद्यालय, बीकानेर में छात्र/छात्राओं के अध्ययनरत् होने की अति–संवेदनशील सेवाओं को देखते हुए कार्य आंकलन पश्चात् जॉब बैसिस कार्य हेतु निर्धारित कार्य बिन्दुओं की समय–समय पर समीक्षा की जायेगी और वर्तमान निर्धारित कार्य बिन्दुओं में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती हैं और इसे स्वीकार किया जाना सफल बोलीदाता के लिए बाध्यकारी होगा।

मैने/हमने अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, बीकानेर द्वारा जारी की गई ई–बोली सूचना 04/2026–27 में वर्णित एवं बोली प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तो को स्वीकार करने के साक्ष्य के रूप में मैंने/हमने हस्ताक्षर किये हैं जिन्हें मैं/हम मानने के लिये बाध्य हूँ/हैं ।

दिनांक :– बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

COLLEGE OF AGRICULTURE * SKRAU, BIKANER *

<u>बोलीदाता द्वारा की जाने वाली घोषणा</u>

यदि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो विश्वविद्यालयप्रशासन को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि जब्त करने एवं उक्त बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय बीकानेर को प्रदत्त करता हूँ/करते हैं ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम :..

पत्र व्यवहार का पता:...

....

....

मोबाईल नम्बर:...

ई–मेल...

<u>नोट :– बोलीदाता को ई–मेल पता अंकित करना अनिवार्य होगा जिस पर समस्त पत्र व्यवहार एवं बोली सम्बंधित सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जाएगा जो बोलीदाता को स्वीकार्य होगा।</u>

COLLEGE OF AGRICULTURE * SKRAU, BIKANER *

(परिशिष्ट–ए–1)

कृषि महाविद्यालय, बीकानेर
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर परिसर एवं महाविद्यालय के 02 कार्य बिन्दुओं (विस्तृत विवरण Annexure-A2 में वर्णित) पर सफाई कार्य जॉब बेसिस आधार पर पूर्ण माह हेतु करवाये जाने का कार्य (मैनपावर, मशीन, व सामग्री सहित) वर्तमान आवश्यकतानुसार कार्य करवाये जाने हेतु बोलीदाता की पात्रता के मापदण्ड शर्तें एवं नियम :–

(A) बोलीदाता की पात्रता के मापदण्ड (Eligiblity Criteria) निम्नानुसार है :–

01. बोलीदाता फर्म श्रम विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए तथा **बोली प्रपत्र के साथ पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है। इसके अभाव में प्रस्तुत बोली पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।**
02. बोलीदाता फर्म पी.एफ.विभाग एवं ई.एस.आई. विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए तथा **बोली प्रपत्र के साथ पी.एफ. एवं ई.एस.आई. पंजीयन प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉं संलग्न करनी अनिवार्य है**
03. **बोलीदाता फर्म/बिडर को भारत सरकार/राज्य सरकार के कार्यालयों में कम से कम एक वर्ष (12 माह) का 2 कार्य बिन्दुओं पर मैन पॉवर (एकल सफाई कार्य Particuler NIT No.) जॉब कार्य करवाने का अनुभव गत 3 वर्षो (01.04.2022 से बोली जारी होने की दिनांक तक अनुभव) के किसी एक वर्ष में होना आवश्यक है। साक्ष्य स्वरूप अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न करनी अनिवार्य है जिसमें अवधि, मैन पॉवर/कार्य बिन्दुओं एवं संतोषप्रद कार्य सम्पन्न करने का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। अनुभव सम्बंधित कार्य के कार्यादेश की प्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी अनिवार्य होगी। जिस संस्था का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है उसका पत्र व्यवहार का पता, दूरभाष नम्बर व ई–मेल आई.डी. का उल्लेख निविदादाता को करना आवश्यक होगा।**
04. फर्म का कम से कम **7.00 लाख रू. प्रति वर्ष का गत तीन वर्षो** के किन्ही दो वर्षो का टर्न ओवर होना आवश्यक है। **इसकी पुष्टि के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के टर्न ओवर का चार्टेड अकाउन्टेन्ट (सी.ए.) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की प्रति बोली के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।** आवश्यकता होने पर अंकेक्षित लेखों की प्रति पुष्टि हेतु मांगी जा सकती है।
05. बोलीदाता को बोली के साथ पेन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
06. **बोलीदाता को बोली के साथ बिड डाटाशीट तथा बिड डाक्युमेन्ट जिसके प्रत्येक पृष्ट पर फर्म की मोहर सहित हस्ताक्षर कर संलग्न करना अनिवार्य है। सशर्त या विहित किसी शर्त पर (X) चिन्हांकित प्रस्ताव स्वीकार्य नही होगा।**
07. **सफाई में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जो कि बिड–डाटाशीट (जी–शीड्यूल) के पार्ट–II में चाहे गये अनुसार उपलब्ध करवानी होगी ।**
08. **जॉब बेसिस सफाई कार्य हेतु मासिक दर मैन पावर, मशीनरी एवं सामग्री की लागत BOQ में दिए गए कॉलम के अनुसार देनी होगी।**
09. बोलीदाता को तकनीकी बिड (Technical Bid) तथा वित्तीय बिड (Financial Bid) पृथक– पृथक प्रस्तुत करनी होगी।
10. वित्तीय बोली निर्धारित (BOQ) Excel फाईल में प्रस्तुत करनी होगी।

उपरोक्त पात्रता पूरी करने वाले बोलीदाता ही तकनीकी बिड (Technically Responsive) में योग्य मानें जावेंगे तथा उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बिड खोली जावेगी। बोलीदाता द्वारा बोली के संबंध में प्रस्तुत (अपलोड) किये गये दस्तावेज अस्पष्ट, अपूर्ण व अपठनीय होने की स्थिति में बोली स्वीकार नही की जाएगी, जिसके लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।

COLLEGE OF AGRICULTURE SKRAU, BIKANER

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय, बीकानेर

कृषि महाविद्यालय, बीकानेर
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर परिसर एवं महाविद्यालय के 02 कार्य बिन्दुओं पर सफाई कार्य जॉब बेसिस आधार पर पूर्ण माह हेतु करवाये जाने का कार्य (मैनपावर, मशीन, व सामग्री सहित) वर्तमान आवश्यकतानुसार कार्य करवाये जाने हेतु कार्यस्थलों, प्रयुक्त होने वाली सामग्री एवं मशीनरी का विवरण :–

PART - I (1) (कार्य क्षेत्रों का विस्तृत विवरण)

1. महाविद्यालय भवन एवं परिसर कार्य क्षेत्र

i. College Building wings and premises with class rooms.
ii. Micro Propagation Lab. (COA Campus)
iii. Bio-Agent Lab & Farm Office (COA Campus)
iv. COA Auditorium
v. College Canteen
vi. Dr. M.S.Swaminathan Hostel
vii. P.G.Boys Hostel No. 02 and premises (COA Campus)
viii. H.G.Singh Hostel and premises (COA Campus)
ix. U.G. Hostel-2 and premises (Near prisoner Hut)

2. एसकेआरएयू परिसर में भवन एवं छात्रावासों में सफाई कार्य

1. P.G. Girls Hostel (Ag.) and premises (Home Science College Campus)
2. U.G. Girls (Ag.)Hostel and premises (Home Science College Campus)
3. COA, Residential Hostel (Awasiya Chhatrawas)
4. One Staff Quarters allotted to the girls
5. Biotechnology Center (Near Central Academy School, SKRAU Campus)

उक्त दोनों कार्य क्षेत्रों में आने वाले आंतरिक (निर्मित व अनिर्मित) व बाहरी परिसर जिसमें समस्त खांचे, बाड़े, पोर्च एरिया, सडक, पार्किंग स्थलों, इत्यादि की नियमित सफाई करवानी होगी साथ ही उक्त कार्य क्षेत्रों के खुले क्षेत्रों में उगने वाली अनावश्यक झाड–झंकार एवं अन्य खरपतवार की मासिक अथवा जारी निर्देशानुसार कटाई का कार्य भी सम्पादित करवाना होगा ।

नोट :– अति संवेदनशील कार्य क्षेत्र वाले सफाई बिन्दुओं पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा तत्कालीन आवश्यकता को देखते हुए परिवर्तित कर सकेंगें जिसे बोलीदाता फर्म को मानना होगा।

COLLEGE OF AGRICULTURE * SKRAU, BIKANER *

PART - II

प्रतिबिन्दु सफाई कार्य के लिए उपयोग में ली जाने वाली सामग्री का विवरण निम्नानुसार होगा ।

क्र.सं.	सफाई सामग्री का नाम	प्रमिमाह प्रतिबिन्दू उपलब्ध करवाई जाने वाल सफाई सामग्री की मात्रा
01.	फर्श वाइपर	3
02.	फूल झाड़ू	20
03.	बांस झाड़ू	10
04.	बांस झाड़ू बाम्बू स्टिक के साथ	15
05.	टॉयलेट ब्रश	10
06.	नेफ्थलीन गोलियाँ	3 किलो
07.	सफेद फिनाइल	120 लिटर
08.	हार्पिक	1 लिटर
09.	टॉयलेट एसिड़	10 लिटर
10.	लॉन्ग कॉटन थ्रेड पोछा	10
11.	राउंड कॉटन पोछा	10
12.	ओड़ोनिल	5 पैकेट
13.	वाशिंग पावडर	10 किलो
14.	ब्लीचिंग पावडर	5 किलो
15.	प्लास्टिक बकेट	5
16.	प्लास्टिक मग	5

एक माह की समस्त बिन्दुओं की सामग्री पूर्व में हर माह की 25 तारीख तक केन्द्रीय भण्डार में जमा करवानी होगी एवं सामग्री नही/कम जमा करवाने पर बाजार दर से सामग्री की राशि बिल में से कटौति की जायेगी। कमेटी द्वारा सामग्री की गुणवत्ता की जाँच की जाएगी। सामग्री निम्न स्तर की पाई जाने पर कमेटी द्वारा रिजेक्ट कर दी जाएगी।

उक्त के अतिरिक्त भी रूम फ्रेशनर स्प्रे, ब्रासो, कोलिन, फिनिट व अन्य सामग्री आवश्यकतानुार प्रयोग में लेनी होगी, प्रयोग में ली गई सभी सामग्री का इन्द्राज महाविद्यालय के केन्द्रीय भण्डार प्रभारी के द्वारा संधारित रजिस्टर में करवाना होगा। उक्त दी गई मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि कार्य क्षेत्र के प्रभारी द्वारा की जा सकती है व बोलीदाता को तदनुसार ही सामग्री उपलब्ध करवानी होगी ।

COLLEGE OF AGRICULTURE SKRAU, BIKANER

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय, बीकानेर

PART - III

शास्ति / कटौती का विवरण

क्र.स.	शास्ति विवरण	राशि रू.
1.	महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय, के दोनों कार्य क्षेत्रों में निर्मित समस्त तलों, गलियारों (Coridors) की सफाई प्रातः महाविद्यालय / विश्वविद्यालय, खुलने से 01 घंटे पहले तथा सायं बन्द होने के तुरन्त बाद प्रभारी अधिकारी / ईन्चार्ज के निर्देशानुसर करनी होगी, अन्यथा प्रति सफाई बिन्दु के हिसाब से रू. 200/– प्रति सफाई बिन्दु प्रतिदिन के हिसाब से शास्ती आरोपित की जावेगी जो बोलीदाता से वसूलनीय होगी ।	रू. 200/– प्रति सफाई बिन्दु
2.	महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयके दोनों कार्य क्षेत्रों में स्थापित समस्त जालियों की सफाई प्रत्येक माह में 02 बार जालों की सफाई लम्बे बॉस झाडू से करवानी होगी व छत तथा उंची दिवरों की डस्टिंग भी करनी होगी, अन्यथा प्रति सफाई बिन्दु के हिसाब से रू. 200/– प्रति सफाई बिन्दु शास्ती आरोपित की जावेगी जो बिडर से वसूलनीय होगी ।	रू. 200/– प्रति सफाई बिन्दु प्रत्येक 15 दिनों में
3.	बोली कार्य हेतु निर्धारित कार्य क्षेत्र / अति–संवेदनशील कार्य क्षेत्र में बोलीदाता द्वारा प्रतिदिन / पारीवार किये गये कार्य के निरीक्षण एवं प्रमाणन हेतु रजिस्टर / प्रपत्र का संधारण करना होगा, कार्य निरीक्षण रजिस्टर / प्रपत्र का प्रारूप कार्य प्रारम्भ करने पर प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा जिसे बोलीदाता को अपने खर्चे पर मुद्रित करवाना होगा तथा बोलीदाता के द्वारा किये गये कार्य को उपस्थित कार्यक्षेत्र के प्रभारी अधिकारी को चैक कराने क पश्चात् पारीवार सत्यापन करवाकर प्रपत्र / रजिस्टर संबंधित प्रभारी अधिकारी को दूसरे दिन प्रातः 11:00 बजे तक देना होगा, यदि निर्धारित समय तक ये नहीं दिये जाते हैं तो यह माना जावेगा कि कार्य नहीं हुआ है।	रू. 1000/– प्रतिमाह
4.	बोली कार्य हेतु उपलब्ध करवायें जाने वाले मैन पावर महाविद्यालय / विश्वविद्यालय, परिसर की तय यूनिफॉर्म जो कि डार्क नेवी ब्ल्यू कलर की होगी पहनेंगे तथा उनकी यूनिफॉर्म पर उनके नाम का बैच लगा होना आवश्यक है। ऐसे कार्यरत सभी मैनपावर के नाम व पते की सूची एवं मैन पावर का वोटर आईडी व पहचान पत्र उक्त समस्त कार्यक्षेत्र प्रभारी को देनी होगी। यदि मैन पावर निर्देशित वर्दी में नहीं पाया जाता है तो बोलीदाता से प्रति मैनपावर प्रतिदिन रू. 100/– की शास्ती वसूल की जावेगी। मैन पावर के परिवर्तन की दशा में पूर्ण सूचना उक्त दोनों कार्यक्षेत्रों के प्रभारी को देनी होगी।	रू. 100/– प्रति कामगार प्रति दिन
5.	सफाई सामग्री में किसी प्रकार की मिलावट अथवा सामग्री अमानक कोटी की पाई गई तो सामग्री को तुरन्त जब्त कर लिया जावेगा एवं इसके विरूद्ध रू. 1000/– की शास्ती बिल से काटी जावेगी ।	रू 1000/– प्रत्येक अवसर
6.	यदि बोलीदाता, उसके सुपरवाईजर तथा उसके द्वारा उपलब्ध करवाये गये मैन पावर द्वारा महाविद्यालय / विश्वविद्यालयमें कार्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जाता है तो बोलीदाता से प्रत्येक अभद्र व्यवहार (Mis Conduct) पर रू. 500/– शास्ति वसूल की जायेगी, जो अन्य शास्तियों / वसूलियों के अतिरिक्त होगी, तथा अभद्र व्यवहार करने वाले को तुरन्त कार्य से हटाना होगा ।	रू 500/– प्रत्येक अवसर
7.	किसी सर्विस बिन्दू पर किसी पारी में सफाई कार्य हेतु अधिकृत मैन पावर व सुपरवाईजर अनुपस्थित रहता है तो बोलीदाता को तुरन्त व्यवस्था करनी होगी जो किसी अन्य सफाई बिन्दू के मैन पावर व सुपरवाईजर से कार्य नहीं करवाया जायेगा, अनुपस्थित की जगह वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने पर प्रति पारी प्रति सफाई बिन्दू 200/– रू. कटौती की जावेगी ।	रू. 200/– प्रति पारी प्रति बिन्दु

COLLEGE OF AGRICULTURE ★ SKRAU, BIKANER ★

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय, बीकानेर

(बोली जॉब कार्य की सामान्य नियम एवं शर्ते)

01. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013, जिसे आगे "अधिनियम" व "नियम" कहा गया है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन, आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें। बोलीदाता को "अधिनियम" एवं "नियम" की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त "अधिनियम" व "नियम" में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त "अधिनियम" व "नियम" के प्रावधान ही अधिभावी होगें।

02. सफल बोलीदाता/संवेदक को अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 एवं नियम 1971 के विहित प्रावधानानुसार नियत अवधि में लाईसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा।

03. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातो में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खाता में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

04. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

05. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

06. बोली अनुमोदन होने पर बोलीदाता द्वारा नियमानुसार **निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर 15 दिवस की अवधि में अनुबन्ध** प्रस्तुत करना होगा जिसका समस्त व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा । सफल बोलीदाता को **अनुमोदित बोली राशि की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security)** के रूप में नियमानुसार प्रस्तुत करनी होगी। यदि बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में अनुबन्ध एवं कार्य संपादन प्रतिभूति (Performance Security) प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो उसकी बोली प्रतिभूति राशि जब्त करते हुवे नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की स्वयं की होगी।

07. बोली कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत् कोई लाईसेन्स अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह बोलीदाता स्वयं के खर्चे पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। बोलीदाता को अपने कर्मकारों के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। श्रम विभाग के निर्देशो की पालना एवं एक साप्ताहिक अवकाश मानदेय सहित देना होगा। श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर से (अकुशल कामगार के लिए निर्धारित दर एवं उस पर देय EPF, ESI सहित)। भुगतान चैक/NEFT/RTGS द्वारा करना होगा केवल विशेष परिस्थितियों में ही उपापन संस्था द्वारा अनुमोदन करने के बाद ही नगद भुगतान किया हुआ स्वीकार किया जा सकेगा।

08. बोली कार्य हेतु उपलब्ध करवाये जाने वाले मैन पावर को न्यूनतम मानदेय, पी.एफ.,ई.एस.आई. अंशदान व अन्य देय सुविधायें उपलब्ध करवाने का दायित्व बोलीदाता का होगा, मैनपावर/कामगारों को मानदेय की राशि का भुगतान चैक/ई.सी.एस. द्वारा उनके बैंक खाते में करना होगा। श्रम विभाग के निर्देशो की पालना एक साप्ताहित अवकाश मानदेय सहित देना होगा। सर्विस टैक्स का भुगतान भी बोलीदाता द्वारा किया जायेगा, किये गये भुगतान (पी.एफ., ई.एस.आई., सर्विस टैक्स) के चालान प्रतिमाह प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ कामगार के नाम, यू नम्बर, ई.पी.एफ. व ई.एस.आई. नम्बर की सूची सहित प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात ही भुगतान विपत्र पारित किया जावेगा।

09. श्रम विधि नियम उपनियम व अधिसूचनायें आदि में दिये गये दिशा निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व बिडर का होगा। श्रम विधि नियम, उपनियम एंव अधिसूचनाओं की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा। बोलीदाता को श्रम विधि नियम उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं श्रमिक हित में यदि बोलीदाता एवं उनके सफाई श्रमिकों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। इस सम्बन्ध में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई दायित्व नहीं होगा। नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर दिये जाने पर औद्योगिक विवदा अधिनियम 1947 में निहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का दायित्व बोलीदाता का होगा ।

10. बोली कार्य हेतु उपलब्ध करवायें जाने वाले मैन पावर की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरांत मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसे किसी

प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने की समस्त जिम्मेदारी व दायित्व बोलीदाता की होगी साथ ही बोली कार्य में प्रयोग में ली जाने वाली मशीनरी एवं उपकरणों में कोई क्षति होती है तो इसके लिये महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

11. बोली कार्य हेतु उपलब्ध करवायें जाने वाले मैन पावर को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के फर्श के साथ-साथ दीवारे, वासबेसिन,बेडपेन व यूरिनल्स की सफाई भी करनी होगी। दो माह में एक बार सभी भवनों की छतों की सफाई करनी होगी।
12. महिला छात्रावास में यथा संभव महिला मैनपावर ही उपलब्ध करवानी होगी ।
13. बोली कार्य में राज्य सरकार या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त सक्षम ऐजेन्सी द्वारा निरीक्षण करने पर कार्य पेटे दिये गये निर्देशों की पालना करने की जिम्मेदारी भी बोलीदाता की होगी ।
14. बोलीदाता द्वारा रखे गये मैन पावर को चिकित्सा सुविधाऐं प्रदान करने की जिम्मेदारी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की नहीं होगी।
15. 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं विश्वविद्यालय के अन्य विशेष अवसरों तथा कोई शिविर लगने पर विशेष सफाई करनी होगी ।
16. 6 माह में एक बार पानी की टंकियों, हॉज आदि की सफाई सेवाप्रदाता को करनी होगी और तदनरूप सफाई की तिथि टंकियों पर आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। सेवा में कमी होने पर प्रति अवसर 1000/- रूपये की शास्ति प्रभार्य होगी।
17. वर्तमान में बोली कार्य एक वर्ष के लिए है इसके पश्चात् यदि आवश्यकता हुई तो RTPP नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है, यदि अनुमोदित प्रदाता इसमें असमर्थता प्रकट करता है तो उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त होगी तथा यह कार्य अनुमोदित प्रदाता की Risk & Cost पर द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता की दर पर या अन्य से खुले बाजार मे प्रचलित दर पर करवाया जावेगा जिसकी अन्तर राशि भी अनुमोदित बोलीदाता से वसूल की जावेगी एवं उस फर्म को ब्लेकलिस्ट कर महाविद्यालय/विश्वविद्यालयकी अन्य बोलियों में भाग लेने मे रोक दिया जावेगा जिसके लिए बोलीदाता स्वंय उत्तरदायी होगा ।
18. विपरीत शर्त/शर्ते स्वीकार नहीं होगी । शर्त युक्त बोली निरस्त कर दी जावेगी।
19. सफलतम बोलीदाता/मालिक को अपना सम्पर्क नम्बर देना होगा व उसे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्रभारी अधिकारी/निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के सम्पर्क में रहना होगा तथा आवश्यकता होने पर सुपरवाईजर सहित उपस्थित होना होगा।
20. **प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात् आगामी माह की सात तारीख तक बोलीदाता द्वारा कार्यालय में बिल जिसमें कामगारों को भुगतान किए जाने वाले मानदेय की राशि EPF, ESI की राशि मय नम्बरों सहित निर्धारित प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत करना होगा तथा जिसका प्रामणन अधीक्षक द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा। कार्यालय/कोषालय के द्वारा किसी भी कारणवश देरी से बिल पारित होने की परिस्थिति में नियोजित किये गये मैनपावर को अपने स्तर से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक भुगतान बैंक खाते में करने का दायित्व बोलीदाता का होगा।**
21. यदि बोलीदाता द्वारा समय पर कार्यालय में निरीक्षण रिपोर्ट/प्रपत्र सहित बिल प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो भुगतान पेटे किसी भी दायित्व की जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी तथा किसी कारणवंश भुगतान में देरी होती है तो मैनपावर को समय पर भुगतान करने का उत्तरदायित्व पूर्णतया बोलीदाता का ही होगा ।
22. बोलीदाता द्वारा मैनपावर को किये गये भुगतान पेटे कोई शिकायत महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रशासन को प्राप्त होती है तो बोलीदाता द्वारा किये गये भुगतान का पूर्ण विवरण/प्रक्रिया की जानकारी निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को उपलब्ध करनी होगी।
23. बोलीदाता बोली कार्य को सबलेट नहीं कर सकेगा ऐसा पाये जाने पर उसकी कार्य संपादन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करने के साथ-साथ अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
24. सरकार अथवा बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो बीकानेर जिला मुख्यालय स्थित क्षेत्र में किया जा सकेगा ।
25. बोलीदाता द्वारा निर्देशानुसार सफाई कार्य न करने/बंद करवाने की दशा में निम्न हस्तारक्षरकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा कि बोलीदाता के खर्चे पर उस कार्य को किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था से करवा सकता है और उसमें हुआ पूर्ण व्यय बोलीदाता से वसूली योग्य होगा।
26. बोलीदाता द्वारा मनोनीत सुपरवाईजर एवं उपलब्ध करवाये गये कामगारो की सूची सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी कार्यालय में समुचित विवरण के साथ उपलब्ध करवानी होगी।
27. न्यूनतम दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने व बिना कारण बताये बोली को निरस्त करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।
28. यदि अनुमोदित बोलीदाता अनुबन्ध एवं बिड डाटाशीट व बिड डोक्युमेन्ट की शर्तो के अनुसार कार्य सम्पादित करने में असफल रहता है तो उसकी बोली निरस्त कर दी जावेगी और बोलीदाता को न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।
29. बोलीदाता को कार्य आदेश में वर्णित दिनांक से कार्य प्रारम्भ करना होगा अन्यथा उसकी बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी ।
30. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार बोलीदाता के बिलों में आयकर की कटौती की जोयगीं।

COLLEGE OF AGRICULTURE SKRAU, BIKANER

31. सफाई कार्य के लिये पानी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यथा सम्भव उपलब्ध करवाया जायेगा परन्तु पानी की अनुपलब्धता होने पर बोलीदाता को अपने व्यय पर पानी की व्यवस्था करनी होगी ।
32. बोली क्रियान्वयन अवधि में बोलीदाता या उसके द्वारा नियोजित मैन पावर द्वारा विश्वविद्यालय सम्पत्ति को नुकसान करने या नुकसान पहुचाने पर उसकी वसूली बोलीदाता से बोली की राशि में से की जावेगी। किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा एवं समस्त कानूनी कार्यवाही के लिए न्याय का क्षेत्र बीकानेर स्थित न्यायालय क्षेत्राधिकार में होगा।
33. सफाई कार्य हेतु वर्तमान आवश्यकता के अनुसार निर्धारित कार्य बिन्दु 2 को कम या अधिक करने का पूर्ण अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को होगा, यदि किसी कार्य बिन्दु को कम या अधिक किया जाता है तो अनुमोदित बोलीदाता की स्वीकृत दर के आधार पर अतिरिक्त मांग या कमी की जा सकेगी।
34. सफाई कार्य का मूल्यांकन निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा समय–समय पर गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। गठित कमेटी द्वारा कार्य में रही कमियों एवं कार्य की गुणवत्ता को मद्देनजर रखते हुए अनुपातिक/प्रतिशतता में शास्ति अरोपित कर बिल से कटौती की जावेगी जिसे अनुमोदित बोलीदाता को स्वीकार करना होगा। गठित कमेटी द्वारा उक्त जॉब कार्य का प्रमाणिकरण 70% से कम किया जाता है और इसकी पुर्नावृति आगामी तीन माह में पुनः होती है तो अनुमोदित बोलीदाता को दोषी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
35. बिजली की सप्लाई महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी। उपलब्ध इलेक्ट्रीक पोईन्ट्स के अलावा अतिरिक्त इलेक्ट्रीक पोईन्ट्स मय पावर प्लग,एक्टेन्शन केबल की व्यवस्था बोलीदाता को अपने स्तर पर करनी होगी जिसका भुगतान देय नहीं होगा।
36. बोली कार्य में वर्णित कार्य क्षेत्र/अति संवेदनशील कार्य क्षेत्र मे परिवर्तन का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता का होगा ।
37. निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को सफाई बिन्दूओं में कमी–बेशी करने, किसी भी कार्य क्षेत्र के कार्य में कमी एव वृद्धि करने तथा बिना कोई कारण बताये उक्त कार्य को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
38. उक्त शर्तो की पालना के अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस हेतु मनोनीत विशेषज्ञ सदस्यों एवं कार्य हेतु गठित कमेटी के सदस्यों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालना भी करनी होगी।
39. निविदा आमन्त्रण व अनुमोदन प्रकिया में किसी निविदादाता फर्म को कोई आपत्ति है तो वह RTPP नियम–13 के प्रावधानो के तहत प्रथम अपील अधिकारी (कुलसचिव, स्वाकेराकृवि बीकानेर)समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
40. सफल बोलीदाता को 02 सफाई बिन्दुओं पर जॉब बेसिस पर कार्य करवाने के लिए मजदुरी अधिनियम 1948 की धारा 33 के प्रावधानानुसार कार्य करवाते हुए कामगार उपलब्ध करवाने होगें। जॉब बेसिस पर सफाई कार्य करवाने के लिए दी गई मासिक दर का (Justification) औचित्य मांगने पर स्पष्ट करना होगा एवं श्रम विभाग की दरों से दर का औचित्य मजदूरी अधिनियम 1948 से कम होने पर दर दाता अयोग्य (Disqualifier) होगा/माना जावेगा।
41. बोलीदाता द्वारा प्रतिदिन किये गये सफाई कार्य का कार्य निरीक्षण रजिस्टर संधारण करना होगा तथा बोलीदाता के द्वारा किये जा रहे सफाई कार्य को प्रभारी को चैक कराने के पश्चात् प्रतिदिन कार्य निरीक्षण रजिस्टर में किये गये कार्य अनुसार उसका सत्यापन भी करवाना होगा। कार्य निरीक्षण रजिस्टर का प्रारूप निम्नानुसार है :–

दिनांक व समय	शौचालय स्नानघर, यूरिनल्स, वॉशवेसिन व बैड पैन की सफाई की/नही	छत व टंकी की सफाई की/नही	ड्रेनेज, गटर व फलश की सफाई की /नही	कार्यरत कामगार वर्दी व पहचान पत्र में उपलब्ध रहा/नही	उपलब्ध कराया गया कामगार बिन्दु पर निर्धारित समय तक रहा/नही	सफाई बिन्दु के समस्त निर्मित व अनिर्मित क्षेत्र की सफाई की/नही	संबंधित प्रभारी के हस्ताक्षर मय नाम

42. कार्यानुबंध प्रथमत 12 माह के लिए होगा परन्तु अपरिहार्य कारणों से यदि नवीन बोली स्वीकृति में विलंब होता हैं तो RTPP प्रावधानों के तहत् नियमानुसार 50 प्रतिशत तक वृद्धि बोलीदाता के लिए बाध्यकारी होगी।
43. वित्तीय बिड में समान दरें प्राप्त होने पर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय भवनों में ज्यादा अनुभव वाली फर्म को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी व कार्य का आवंटन किया जायेगा लेकिन गुणावगुण के आधार पर उपापन समिति निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी।
44. अन्य शर्ते बिड–डाक्यूमेन्ट के अनुसार रहेगी जिसकी भी पूर्ण पालना बोलीदाता को करनी होगी।
45. वित्त (GST) के परिपत्र एफ 2(1)वित्त/SPFC/2017 दिनांक 30.04.18 मे उल्लेखित नियम भी लागू रहेंगे।
46. बोलीदाता द्वारा तकनीकी दस्तावेजों में प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों का सत्यापन सम्बंधित विभागों से करवाया जा सकता है। बोलीदाता द्वारा ऑनलाईन तकनीकी बिड में प्रस्तुत दस्तावेज (तकनीकी पात्रता से सम्बंधित) जाली/गलत पाए जाते है तो बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।
47. On Duty Staff अपनी ड्यूटी अवधि के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से सम्बंधित टॉयलेट्स व एरिया का प्रतिदिन दो बार निरीक्षण करेगे। व्यवस्था में खामी पाए जाने पर उसी समय सफाई ठेकेदार के प्रतिनिधि को मौके पर

COLLEGE OF AGRICULTURE SKRAU, BIKANER

बुलाकर सफाई कार्य करवाएगें। सफाई ठेकेदार द्वारा इसकी अवहेलना करने पर अपनी दैनिक रिपोर्ट में इसका उल्लेख करेगें।

48. वित्तीय बिड में न्यूनतम दर प्रदाता (एल 1) एक से अधिक होने पर राजस्थान के मूल निवासी निविदादाता को प्राथमिकता दी जावेगी। राजस्थान के न्यूनतम दर प्रदाता एक से अधिक होने पर बीकानेर के निविदादाता को प्राथमिकता दी जावेगी। बीकानेर के न्यूनतम दर प्रदाता एक से अधिक होने पर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, भवनों में ज्यादा अनुभव वाली फर्म को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी व कार्य का आवंटन किया जायेगा लेकिन गुणावगुण के आधार पर उपापन समिति निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी।
49. सफल बोलीदाता द्वारा लगाए गए सफाईकर्मी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। 60 वर्ष से अधिक आयु के सफाईकर्मी नहीं लगाए जा सकेंगे।
50. सफल बोलीदाता द्वारा लगाए गए सभी सफाईकर्मी के चरित्र सत्यापन एवं पुलिस वेरिफिकेशन सम्बंधित जिम्मेदारी सम्बंधित बोलीदाता की स्वयं की होगी। किसी सफाईकर्मी के अपराधिक गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर उसके विरूद्ध किए जाने वाली कानूनी कार्यवाही एवं उत्पन्न दायित्व के लिए सम्बंधित बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का इस सम्बंध में कोई दायित्व नहीं होगा।
51. सफाई कार्य के सम्बंध में वांछित सभी प्रकार की विधिक स्वीकृति एवं अनुमतियां एवं लाईसेंस आदि जो भी वांछित होगी वह अनुमोदित बोलीदाता द्वारा स्वयं के स्तर से प्राप्त करके अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने की समस्त जिम्मेदारी अनुमोदित बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
52. बोलीदाता/सम्भावित बोलीदाता द्वारा अपनी परिवेदनाऐं व सुझाव प्री-बिड मिटिंग में निर्धारित समय में व्यक्तिशः/जरिए ई-मेल के माध्यम से भेजी जा सकती है। प्री-बिड मिटिंग की निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त किसी परिवेदना/सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोट :- बोली कार्य हेतु निर्धारित कार्य क्षेत्र/विशेष कार्य क्षेत्र की जानकारी एवं बोली संबंधी अन्य जानकारी कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।

COLLEGE OF AGRICULTURE
SKRAU, BIKANER

बोलीदाता की घोषणा

मैने/हमने उपरोक्तानुसार बोली संबंधी समस्त परिशिष्ठ व पार्ट मे प्रस्तुत विवरण तथा बोली कार्य की सामान्य नियम एवं शर्तो जो कि क्रम संख्या 1 से 52 में वर्णित है का भली भांति अवलोकन कर लिया व पढ एवम् समझ लिया है । मै/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पूर्ण पालना करने के लिये सहमत हैं/हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम ....

पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :– ....

....

....

मोबाईल नम्बर ....

ई–मेल पता ....

COLLEGE OF AGRICULTURE SKRAU, BIKANER

(परिशिष्ट–बी)

कृषि महाविद्यालय, बीकानेर

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

बिड डाटाशीट (जी–शिड्यूल)

प्रपत्र – वित्तीय बिड कुल कार्य बिन्दु 02

बोलीदाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रशासन को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि जब्त करने एवं उक्त बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रदत्त करता हूँ/करते हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम :..

पत्र व्यवहार का पता:..

....

....

मोबाईल नम्बर:..

ई–मेल पता ....

COLLEGE OF AGRICULTURE SKRAU, BIKANER